

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत: 11.12.2020 (SAO) मुकाम लायत

बनाम स्वयंशाराम वर्मा

किस्म मुकदमा: 111/128 नं. 404 सन 2020
RLR

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नघर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तापील में जारी हुए
31.12.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री स्वयंशाराम शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/11/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
19/11/21	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी/पीठों के नोटिस तामिल अहकाम तामिल अहकाम/समान पीठाधीन अधिकारी का पद स्थित होने से मिसल इलतबा होकर आगामी दिनांक 26/04/2021 को पेश हो।	
26/04/21	पत्रावली पेश हुई/कुलाय फारिकेन उपस्थित पीठाधीन अधिकारी का पद स्थित है अतः पत्रावली इलतबा होकर दिनांक 27/10/2021 को पेश हो।	



27/10/21

प्राथी वकील उपर/ विप्रार्थीगणों के
तामिल इलाका प्राप्त जिन शामिल पत्राचारों
किंगारामा। विप्रार्थीगण बाकमुद तामिल
अनुपस्थित/ भीमान पीडासीन अधिकारी मंडोदप दिगर
प्रशासन गणों के सेवा अध्याय 2021 में
व्यक्त होने से मिलल इलाका लोक आगामी दिने
10/1/22 को पेश करे।

गोख हक्म


10/1/22

प्राथी वकील उपर/ विप्रार्थीगण अनुपस्थित।
भीमान पीडासीन अधिकारी मंडोदप दिगर कार्यों में
व्यक्त होने से मिलल इलाका लोक आगामी
दिनांक 14/2/2022 को पेश करे।

14/2/2022

प्राथी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बाकमुद
तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय नीन वार
आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज उपस्थित
लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर
कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा
विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक नरफा कार्यवाही अभिलेख
में लाई जा रही है। प्राथी के अधिवक्ता की वरत
खुली गई, प्राथी के अधिवक्ता का/ वरत/ वरत/ रि
प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खेत से/ लगे/ आये/ इए/ ही
खेतों के मध्य पुराने मोड़ एवं कण वन इए/ ही जो वर्तमान
में अधिपों के वरत से खिचर गए/ ही जिले प्राथीको
अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं है वा
रहा/ ही खेत के से/ को लेकर प्राथी एवं विप्रार्थीगणों
के मध्य वरत के क्षी में वनाजा बना रह/ ही
प्राथीको अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान कवाने
हेतु ने/ वरत/ की कवाना आवश्यक/ ही इसलिए प्राथी
का ने/ वरत/ की आवेदन स्वीकार/ का ने/ वरत/ की

आदेश किया जावे/
 (SDO) वायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>अन: प्रार्थी अधिकाता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपथमवंधी आवेदन स्वीकार किया जाकर लक्ष्मीलदार बापत को कमीशन एवं सम्बंधित डी.डी. निरीक्षण को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर प्रार्थी के खेतों की पंक्ती नेपथमवंधी माफ़े पर कमीशनर द्वारा जमापत्राकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल फ़त्रावली से पत्रावली फ़ैल शुभ है, फ़र सबर लेका ले दारिकल फ़र ले।</p> <p style="text-align: right;">  (SDO) बायतु </p>	

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 1635

दिनांक:- 14/2/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. इन्द्राराम पुत्र शंकराराम वगैरा,
जाति मेगवाल, निवासी करनपुर,
पटवार मण्डल चौखला,
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. खरथाराम पुत्र नगाराम वगैरा 14
जाति जाट, निवासी करनपुर
पटवार मण्डल चौखला
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 404 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - करनपुर, पटवार मण्डल - चौखला, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 178, 237/178, 267/186, 268/192 रकबा क्रमशः 0.8009, 0.7281, 1.6989, 9.4896 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक/वाद /2022/ 1636-40
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री इन्द्राराम पुत्र शंकराराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री खरथाराम पुत्र नगाराम वगैरा 14
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

दिनांक:- 14/2/22

सहायक कमिशनर
उपखण्ड (अधिकारी) बायतु